पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
101/17	10.07.2017	12.9.19

1. बोदनराम पुत्र श्री अर्जन जाति मेघवाल निवासी ग्राम रोनीजा तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:–वादी

बनाम

1. गोपीचन्द पि0 मुत0 देवीसहाय जाति मेघवाल निवासी जौडिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कोटकासिम (अलवर)

–प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी अन्तर्गत धारा 53
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री पूर्ण सिंह यादव अभिभाषक वादी

वादी ने मय वकील उपस्थित होकर एक वाद दावा तकासमा आराजी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी हाल ख0 न0 31 रकबा 0.8200 हैक्टयर वाके ग्राम मैनावास मिन वादी व प्रतिवादी संख्या–1 की सामलात खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है। जिसमें वादी का 1/2 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 भाग है। इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद है। विवादित आराजी का आज तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा नही हुआ है। बल्कि हर इंच पर हर हिस्सेदार सामलात में काबिज है। वादी व प्रतिवादी के मध्य आराजी के कब्जा काश्त को लेकर विवाद रहता है। इसीलिए मिन वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन कराकर कुर्रेकायम कराकर खाता अलग कराना चाहता है। मिनवादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 10.06.2017 को विभाजन हेतु कहा तो वह साफ इन्कार होगया। इसलिए विवादित आराजी का मिनवादी विभाजन कर अलग खाता कायम करवाने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 की तामिल जरिये रजिर्स्टड तलबाना कराई गई। बावजूद सूचना प्रतिवादी संख्या–1 अनुपस्थित इसलिए दिनांक 14.11.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या–2 पैरोकार सरकार तहसीलदार कोटकासिम की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। जिसमें सभी बिन्दु स्वीकार किये गये हैं। वादी द्वारा साक्ष्य पेश नही किये गये प्रारंभिक डिक्री पर सीधी बहस

की गई। पत्रावली में दिनांक 14.02.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार कोटकासिम को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी विभाजन प्रस्ताव एवं कुर्रेजात तैयार कर इस कार्यालय को भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार कोटकासिम ने कुर्रेकायम तैयार कर इस कार्यालय को भिजवाये गये।

बहस विद्वांन अभिभाषक सुनी गई। विद्वांन अभिभाषक ने मुताबिक कुर्रेकायमी पर वाद डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट की ओर कहा की मुताबिक कुर्रेकायमी वाद डिक्री कर दिया जावे।

विद्वांन अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात, व विभाजन प्रस्ताव का अवलोकर किया। जमाबंदी सम्वत 2059–2072 में विभाजित ख0न0 31 रकबा 0.8200 में गोपीचन्द पि.मु. देवीसहाय सा. जौडिया 1/2 हि0 बोदनराम पुत्र अर्जन सा0 रोनिजा 1/2 हि0 चमार खातेदार अंकित है। विवादित आराजी में दोनो का समान भाग है। इसलिए मुताबिक कुर्रेकायमी विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव इस कदर डिक्री किया जाता है कि बोदनराम पुत्र अर्जन कौम चमार निवासी रोनिजा के 31/3/0.04, 31/4/0.04, 31/5/0.04, 31/07/0.07, 31/11/0.10, 31/13/0.09 किता 6 कुल रकबा 0.38 वाके ग्राम मैनावास खातेदार की रहेगी। इसी प्रकार गोपीचन्द पुत्र देवीसहाय कौम चमार निवासी जौडिया के ख0न0 31/2/0.04, 31/6/0.09, 31/10/0.16, 31/12/0.09 किता 4 कुल रकबा 0.38 वाके ग्राम मैनावास खातेदार रहेगी। इसी प्रकार गोपीचन्द पुत्र देवीसहाय 1/2 सा0 जौडिया बोदनराम पुत्र अर्जन 1/2 कौम चमार सा0 रोनिजा के ख0न0 31/1/0.01, 31/8/0.01, 31/9/0.04 खातेदार वाके ग्राम मैनावास तहसील कोटकासिम खातेदार रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.9.19 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजकुमार कस्वा (R.AS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
101/17	10.07.2017	12.09.2019

1. बोदनराम पुत्र श्री अर्जन जाति मेघवाल निवासी ग्राम रोनीजा तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:-वादी

बनाम

1. गोपीचन्द पि0 मुत0 देवीसहाय जाति मेघवाल निवासी जौडिया तहसील कोटकासिम जिला-अलवर (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कोटकासिम (अलवर)

-प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी अन्तर्गत धारा 53
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः- श्री पूर्ण सिंह यादव अभिभाषक वादी

अतः वादी का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव इस कदर डिक्री किया जाता है कि बोदनराम पुत्र अर्जन कौम चमार निवासी रोनिजा के 31/3/0.04, 31/4/0.04, 31/5/0.04, 31/07/0.07, 31/11/0.10, 31/13/0.09 किता 6 कुल रकबा 0.38 वाके ग्राम मैनावास खातेदार की रहेगी। इसी प्रकार गोपीचन्द पुत्र देवीसहाय कौम चमार निवासी जौडिया के ख0न0 31/2/0.04, 31/6/0.09, 31/10/0.16, 31/12/0.09 किता 4 कुल रकबा 0.38 वाके ग्राम मैनावास खातेदार रहेगी। इसी प्रकार गोपीचन्द पुत्र देवीसहाय 1/2 सा0 जौडिया बोदनराम पुत्र अर्जन 1/2 कौम चमार सा0 रोनिजा के ख0न0 31/1/0.01, 31/8/0.01, 31/9/0.04 खातेदार वाके ग्राम मैनावास तहसील कोटकासिम खातेदार रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकुमार कस्वा (R.AS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)